

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्रमांक:- प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013 / 17587 जयपुर, दिनांक:- 25-09-2021
आदेश

राजस्थान लोक सेवा वाहन अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्धारित किया जाता है कि "रीट (REET)" परीक्षा के अभ्यर्थियों के आवागमन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013/17409 दिनांक 23.09.2021 के अंतर्गत अधिग्रहित किये गये वाहनों (बस/मिनी बस) का संचालन के अनुसार प्रतिपूर्ति (compensation) विभागीय अधिसूचना संख्या प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013/49215 दिनांक 27.05.2014 एवं निर्धारित संरोध अधिभार (Detention Charges) देय होगा।

संरोध अधिभार (Detention Charges)की दरें निम्नानुसार है-

1. बैठक क्षमता 21 सीट तक के यात्री वाहन- रूपये 3000/- प्रतिदिन।
2. बैठक क्षमता 22-32 सीट तक के यात्री वाहन- रूपये 4000/- प्रतिदिन।
3. बैठक क्षमता 32 सीट से अधिक के यात्री वाहन- रूपये 5000/- प्रतिदिन।

वातानुकूलित (Air Conditioned) वाहनों की स्थिति में संरोध अधिभार (Detention Charges)उपरोक्त का 20 प्रतिशत अधिक देय होगा।


(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, परिवहन
जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक:- प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013 17587

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
8. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को विभाग की वेबसाइट पर अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
13. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
14. रक्षित पत्रावली।


25/9/2021
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)